कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख) सिवनी, जिला सिवनी म.प्र.

// कारण बताओ सूचना पत्र //

क्रमांक/अ.भू.अ./WebGISCell/I/460327/2025, सिवनी, दिनांक 26-08-2025

प्रति,

श्री महेन्द्र सिंह सरयाम
पटवारी, तहसील सिवनी नगर
जिला सिवनी

विषय :- बंटवारा आदेश उपरांत अभिलेख दुरूस्त नहीं किये जाने बावत्।

संदर्भ :- आवेदिका श्रीमति तारावती पति स्व. जेठूलाल निवासी ग्राम चांवड़ी, कृषक ग्राम आमाकोला तहसील सिवनी द्वारा जनसुनवाई दिनांक 26.08.2025 में प्रस्तुत आवेदन।

-------0------

विषयांतर्गत आज दिनांक 26.08.2025 को जनसुनवाई में कलेक्टर महोदय के समक्ष आवेदिका श्रीमति तारावती पति स्व. जेठूलाल निवासी ग्राम चांवड़ी, कृषक ग्राम आमाकोला तहसील सिवनी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें आवेदिका द्वारा उल्लेख किया गया है कि तहसीलदार न्यायालय से बंटवारा प्रकरण में दिनांक 04.07.2025 को आदेश पारित किया जा चुका है परंतु आपके द्वारा अभी तक अभिलेखों में आदेश का अमल नहीं किया गया है। आपका यह कृत्य दायित्वों के प्रति आपकी उदासीनता एवं लापरवाही दर्शाता है एवं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 अंतर्गत उल्लेखित नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अत: क्यों न आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावे ? उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही तत्काल पूर्ण की जाकर पत्र प्राप्ति के 03 दिवस के भीतर आप अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि में जवाब प्रस्तुत न किये जाने या संतोषजनक जवाब न होने की स्थिति में आपके विरूध्द म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार)

Digitally Signed By
प्रभारी अधिकारी
भू-अभिलेख, सिवनी

पृ.क्र./अ.भू.अ./WebGISCell/I/460327/2025, सिवनी, दिनांक 26-08-2025

प्रतिलिपि :-

1. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सिवनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. तहसीलदार सिवनी नगर की ओर पालनार्थ।
3. स्टेनो टू-कलेक्टर जिला सिवनी की ओर सूचनार्थ।

Digitally signed by
Vijay Kumar Sen
Date: 26-08-2025
16:47:48

प्रभारी अधिकारी
भू-अभिलेख, सिवनी